संख्या- 19/1649/49-3-2014-180/2014

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त अपर/उप/सहायक आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,उत्तर प्रदेश।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 29दिसम्बर, 2014

विषय- कृषक जोत के आधार पर यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह संज्ञान में लाया गया है कि कुछ कृषकों के द्वारा सहकारी समितियों से उनके पास उपलब्ध कृषि भूमि हेतु आवश्यक यूरिया से अधिक क्रय किया जा रहा है। सहकारी समितियों पर यूरिया उर्वरक के अभाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि कृषक को जोत के आधार पर ही यूरिया उपलब्ध करायी जाय, ताकि अधिक से अधिक कृषकों को यूरिया उर्वरक प्राप्त हो सके।

कृपया तदनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 19/1649(1)/49-3-2014,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि --

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।

आज्ञा से,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in